न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 106/2022

1. धमेन्द्र पुत्र महावीर जाति जाट निवासी लुट्टू तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. अक्षयकुमार पुत्र राजकुमार नाबालिग जरिये माता प्रमोददेवी पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी लुट्टू तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
3. निकेश कुमार पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी लुट्टू तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
4. प्रमोददेवी पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी लुट्टू तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।

आवेदकगण

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
2. बिमला पुत्री चन्द्राराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
3. मनोज पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
4. संदीप पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
5. सुमित्रा देवी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
6. सुधा पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
7. सुरेश पुत्री चन्द्राराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
8. गोवर्धन पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
9. फुलचन्द पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
10. विद्याधर पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
11. संतोष पत्नी रामू जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
12. इन्द्राज पुत्र भोला जाति मेघवाल निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
13. दाखी पुत्री भोला जाति मेघवाल निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
14. बुधराम पुत्र भोला जाति मेघवाल निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
15. सन्तोष पुत्री भोला जाति मेघवाल निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
16. अशोक पुत्र गिरधारीलाल जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
17. आशीष पुत्र गिरधारीलाल जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
18. इन्द्राज पुत्र नत्थूराम जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
19. किशनलाल पुत्र बृजलाल जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
20. सुरेश पुत्र छोटुराम जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
21. जगदीश पुत्र बृजलाल जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
22. धीरज पुत्र गिरधारीलाल जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
23. पवनकुमार पुत्र बृजलाल जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
24. पार्वती देवी पुत्री बृजलाल जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
25. बाबुलाल पुत्र दुर्गा जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
26. मुन्नीदेवी पत्नी शुभकरण जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
27. महेन्द्रकुमार पुत्र बृजलाल जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।

28. मोहनलाल पुत्र दुर्गा जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
29. रजनी पुत्री शुभकरण जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
30. रविन्द्र पुत्र सीताराम जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
31. रामनिवास पुत्र नथुराम जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
32. शंकरलाल पुत्र लालचन्द जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
33. कन्हैयालाल पुत्र लालचन्द जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
34. सुरेश कुमार पुत्र लालचन्द जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
35. विक्रय पुत्र शुभकरण जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
36. सुशीला देवी पत्नी गिरधारीलाल जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
37. सिमरन पुत्री शुभकरण जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
38. हरीश पुत्री सीताराम जाति मेहतर निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
39. संजयकुमार पुत्र रामनिवास जाति मेघवाल निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
40. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर हाल तहसीलदार बिसाऊ।

अनावेदकगण

वकील आवेदक – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अनावेदकगण–

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गड्डी

निर्णय

दिनांक 08.11.2023

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम कोलिण्डा पटवार हल्का कोलिण्डा में भूमि ख0न0 222 रकबा 0.26 है0, ख0न0 496 रकबा 0.61 है0, ख0न0 497 रकबा 1.26 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.52 हैक्टर भूमि अवस्थित है जो आवेदकगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस पर वे शान्ति पूर्वक काबिज हैं। आवेदकगण एंव अनावेदक सं. 1 लगायत 40 के मध्य सीमा बाबत कोई विवाद नहीं है। यह कि आवेदकगण अपनी खातेदारी एवं काश्तकारी की उपरोक्त वर्णित भूमि में आवारा पशुओं से फसल बचाने एवं अन्य भूमि सुधार कार्य हेतु तारबन्दी करवाना चाहते है जिसके लिये उक्त भूमि की पत्थर गड्डी करवायी जानी न्याय संगत है। आवेदकगण ने उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 12.04.2022 को तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमाकं 486 दिनांकित 29.03.2022 की पालना में पटवार हल्का कोलिण्डा द्वारा करवाया जा चुका है। उक्त सीमाज्ञान की फर्द दिनांकित 12.04.2022 रूबरू मौतबिरानों के समक्ष उनके हस्ताक्षर करवाकर तैयार की गयी है। आवेदकगण उक्त वर्णित भूमि की पत्थर गड्डी भी मुताबिक सीमाज्ञान फर्द दिनांकित 12.04.2022 करवाना चाहते है जो किया जाना न्यायोचित भी है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि की फर्द सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 12.04.2022 के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अनावेदक संख्या 1 लगायत

40 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 40 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 12.04.2022 के पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आवेदक ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार मलसीसर से दिनांक 12.04.2022 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया है जिसकी सत्य प्रतिलिपि पत्रावली में सलंग्न है। आवेदक अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जो न्यायसंगत है। तमाम तथ्यों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। ग्राम कोलिण्डा पटवार हल्का कोलिण्डा स्थित भूमि ख0न0 222 रकबा 0.26 है0, ख0न0 496 रकबा 0.61 है0, ख0न0 497 रकबा 1.26 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.52 है0 भूमि के कब्जे काश्त के संबंध में विवाद नहीं होने की स्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/11/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर